संवाद

राष्ट्रीय घरेलू कामगर नीतिः एक समीक्षा

चैताली

पिछले कुछ दशकों से अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगरों खासकर घरेलू कामगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। 2007-8 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस वर्ग के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। अलग-अलग राज्यों के संगठनों-समूहों ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक ड्राफ़्ट बिल का मसौदा तैयार किया। राज्य सरकार ने भी घरेलू कामगरों के हित के लिए न्यूनतम वेतन व कल्याणकारी कानून बनाया।

हमारे समाज में घरेलू कामगरों की स्थिति बेहद दयनीय है। शहरी गरीबों और गांवों से पलायन करने वाले इन कामगरों के पास सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। खराब काम का माहौल, कम वेतन और अनिश्चित काम इस वर्ग की नियति बन जाता है।

दिसम्बर 2009 में भारत सरकार ने इस मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए एक टास्क फ़ोर्स कमेटी का गठन किया। अपनी तीन महीने की अवधि में इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर अप्रैल 2010 में *राष्ट्रीय घरेलू कामगर ड्राफ़्ट नीति* तैयार की गई।

यहां सवाल यह उठता है कि हम इस विषय पर नीति बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या नीति बनाने से भविष्य में घरेलू कामगरों के हित के लिए कानून बनाने के रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं होंगी? टास्क फ़ोर्स की सदस्य भारती बिरला इस समस्या का समाधान करते हुए यह कहती हैं, "ड्राफ़्ट नीति कानून के रास्ते में अवरोध पैदा नहीं कर सकती क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि श्रम कानून में घरेलू काम को जोड़ना अनिवार्य है। अगर घरेलू कामगर और श्रम के भिन्न चरित्रों के कारण ऐसा संभव नहीं है तो कानून में संशोधन लाया जाएगा। दूसरी ओर अगर कानून पारित होने के बावजूद घरेलू कामगरों के हित ध्यान में नहीं रखे जाते तो एक नया कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।" उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति, टास्क फ़ोर्स व व्यापार संघ का साझा मत है कि घरेलू काम व कामगर श्रम कानून के तहत शामिल किए जाने चाहिए।

चूंकि कानून बनाने की प्रक्रिया लम्बी व जटिल है और घरेलू कामगरों के लिए कोई तात्कालिक कदम उठाने की आवश्यकता है इसलिए इस समय नीति निर्माण ही उचित है।

घरेलू कामगर नीति का उद्देश्य

घरेलू कामगरों के संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों की भूमिका अहम है। नीति का मुख्य उद्देश्य है काम के अधिकार को बढ़ावा देना तथा कामगरों के मानवाधिकारों व मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। इसके अतिरिक्त घरेलू काम को अधिकार आधारित नज़रिए से देखते हुए इस श्रम की गरिमा व सम्मान का दर्जा प्रदान करने का प्रयास भी इस नीति के माध्यम से किया जाएगा।

इस नीति की रूपरेखा में निम्न कानूनों का भी हवाला दिया गया है, जो अन्य वर्ग के श्रमिकों के हित के लिए उपयोग किए जाते हैं।

उल्लेख किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इन कानूनों में संशोधन करके घरेलू कामगरों के हित भी शामिल किये जा सकते हैं।

- कामगर क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923
- व्यापार संघ अधिनियम 1926
- मज़दूरी के भुगतान अधिनियम 1936
- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
- मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
- संविधा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगर (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979

इसके साथ-साथ यह नीति 'घरेलू कामगर' को इस प्रकार परिभाषित करती है, *"कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सीधे तौर पर या नियोजन एजेंसी के द्वारा, किसी घर में नियमित अथवा अनियमित रूप से पैसे या वस्तु के बदले घरेलू काम करता/करती हो। ये व्यक्ति किसी भी रूप में मालिक के परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिए।"* नीति में घरेलू कामगरों को तीन श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है।

- अंशकालिक— तयशुदा घटों के लिए कार्यरत।
- पूर्णकालिक— पूरे दिन का काम करने वाले जो रात को अपने घर वापस लौट जाते हों।
- तीसरा वर्ग उन कामगरों का होता है जो रात-दिन मालिक के घर रहते हुए घरेलू काम करते हैं।

इस नीति के प्रमुख केंद्र बिन्दु निम्न हैं:

- मौजूदा श्रम कानून के तहत घरेलू कामगरों को शामिल किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार उनके हितों की सुरक्षा के लिए कानून में संशोधन किए जा सकते हैं।
- घरेलू कामगरों को राष्ट्र श्रम विभाग व अनौपचारिक क्षेत्र कामगर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण का अधिकार है।
- अपने हक़ों को पाने के लिए घरेलू कामगर संगठन, यूनियन या संघ गठित कर सकते हैं।
- घरेलू कामगरों को न्यूनतम वेतन, वेतनयुक्त स्वास्थ्य अवकाश व अन्य सामाजिक सुरक्षाएं दी जाएंगी।
- विदेश में काम करने वाले श्रमजीवियों को प्रवासी अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रवास से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय से उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है। श्रम विभाग भी विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कामगर के लिए लिखित अनुबंध तैयार करने की प्रक्रिया जारी करेगा।
- राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह घरेलू कामगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। फिलहाल राज्य सरकारें घरेलू काम को राष्ट्रीय कौशल विकास पहल में बतौर व्यवसाय शामिल करने पर ज़ोर दे रही हैं।
- नियोजन एजेंसियों को अनिवार्य रूप से *दुकान व वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम 1953* के तहत अपना पंजीकरण करवाना होगा। केंद्रीय सरकार इन एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी तंत्र की स्थापना करेगी जो निष्पक्ष तरीके से घरेलू कामगरों के हक़ों को महफूज़ रखेंगे।
- घरेलू कामगर काम संबंधी विवादों के निवारण के लिए स्वयं या अपने प्रतिनिधि के ज़रिए अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। श्रम व रोज़गार मंत्रालय घरेलू कामगरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था प्रदान करेगा, जहां सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ शोषण, हिंसा व उत्पीड़न से भी प्रतिकार मिल सकेगा। यह तंत्र नियोजन एजेंसियों व कामगरों के बीच विवादों में भी मध्यस्थता करेगा।
- श्रम व रोज़गार मंत्रालय घरेलू कामगरों के अधिकारों व शर्त रहित रोज़गार के हक़ पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगा। मंत्रालय रोज़गार संबंधी जानकारियां मुहय्या करवाने में भी मदद करेगा।

नीति का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय घरेलू कामगर नीति को लागू करने की ज़िम्मेदारी श्रम व रोज़गार मंत्रालय की है। मंत्रालय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय, कामगर व मालिक संगठन तथा अन्य

पणधारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन करेगा जो नीति के कार्यान्वयन व निगरानी का दायित्व उठाएगी। राज्य स्तर पर भी एक ऐसा ही तंत्र घरेलू कामगरों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा।

ये समितियां तीन महीने के अंदर इस नीति को लागू करने की रणनीतियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय संस्थागत तंत्र अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट भी राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत करेगा जिसे राष्ट्रीय रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा।

अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या घरेलू कामगार राष्ट्रीय नीति वास्तव में लागू हो पाएगी या फिर अन्य सरकारी नीतियों की तरह यह महज़ कागज़ों तक सीमित होगी?

घरेलू कामगरों की सक्रिय कार्यकर्ता व टास्क फ़ोर्स सदस्य गीता मेनन का मत है कि नीति के कार्यान्वयन के लिए घरेलू कामगरों का संगठित होना बहुत ज़रूरी है। असंगठित क्षेत्र के इन सभी श्रमजीवियों को अपने संगठनों को सशक्त बनाकर सरकार पर दबाव बनाए रखना होगा। नीति तो केवल सरकार का ध्यान अपने मुद्दों पर खींचने का ज़रिया है। अपने हक़ों और मानवधिकारों को साकार करने की दिशा में सशक्त कानून ही एकमात्र रास्ता है।

***चैताली** जागोरी की कार्यकर्ता हैं।*